लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 अखेराज लूनिया द्वारा फरहदा लाईम स्टोन माईन ग्राम फरहदा, तहसील सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.) के खसरा कमांक 1732/1, 1727/1 में लाईम स्टोन क्षमता 60,000 टी.पी.ए. (लाईम स्टोन माईन क्षेत्र – 21.373 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.11.2010 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 अखेराज लूनिया द्वारा फरहदा लाईम स्टोन माईन ग्राम फरहदा, तहसील सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.) के खसरा कमांक 1732/1, 1727/1 में लाईम स्टोन क्षमता 60,000 टी.पी.ए. (लाईम स्टोन माईन क्षेत्र – 21.373 हेक्टेयर) परियोजना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत एवं इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 18.11.2010 दिन गुरूवार को दोपहर 12:00 बजे स्थान–ग्राम फरहदा चूना पत्थर खदान के पास शासकीय मैदान में तहसील सिमगा, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई तथा ग्राम पंचायत फरहदा को भी लोक सुनवाई की सूचना दिनांक 14.10.2010 को प्रेषित की गई।

उद्योग की परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 18.11.2010 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री के.एल. चौहान, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान, श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 एस.के. उपाध्याय मुख्य रसायनज्ञ, अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि श्री विमल कुमार जैन, उद्योग के कंसल्टेंट श्री संतोष खंताल तथा मान्नीया श्रीमति लक्ष्मी वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, जिला पंचायत रायपुर के सदस्य, ग्राम फरहदा एवं आस–पास के लगभग 200 ग्रामवासी उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

2. अपर कलेक्टर श्री चौहान द्वारा जनसामान्य को अवगत कराया गया कि, फरहदा लाईम स्टोन माईन ग्राम फरहदा के खसरा कमांक 1732/1, 1727/1 में लाईम स्टोन क्षमता 60,000 टी.पी.ए. (लाईम स्टोन माईन क्षेत्र – 21.373 हेक्टेयर) लगभग 53 एकड़ 35 डिसमिल क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा खनन हेतु स्वीकृति दी गई है। इस क्षेत्र में खनन किये जाने हेतु पर्यावरण विभाग को आवेदन किया गया है, जिसके संबंध में आज की लोक सुनवाई आयोजित की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण विभाग द्वारा जनसामान्य के मौखिक अथवा लिखित विचारों, सुझाव, आपत्तियों को मूलतः दर्ज किया जाता है तथा इसमें किसी प्रकार की काट–छांट नहीं की जाती है। लोक सुनवाई में उपस्थित जनसामान्य द्वारा परियोजना के परिपेक्ष्य में पर्यावरण से संबंधित विचार, सुझाव,

दावा–आपत्ति को पर्यावरण विभाग द्वारा लिपिबद्ध किया जाकर इसकी टंकित प्रति कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर के द्वारा हस्ताक्षरित कराकर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लोक सुनवाई की विडियोग्राफी सहित प्रेषित की जाती है।

3. उद्योग के पर्यावरण सलाहकार, कियेटिव सर्विस एन्वॉयरोटेक के श्री संतोष खंताल द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया गया। यह खदान 1995 में मे0 अखेराज लूनिया द्वारा ली गई थी, लेकिन भूप्रवेश हेतु अनुमति 2003 में प्रदान की गई। पर्यावरण विभाग द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खदान संचालन पर आपत्ति किये जाने के कारण अगस्त 2008 से यह खदान बंद है। उक्त खदान के संचालन हेतु मे0 अखेराज लूनिया द्वारा पर्यावरण विभाग में आवेदन किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में आज यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। उन्होने बताया कि अयस्क के उत्खनन में ओपनकास्ट मैनुअल/अर्धमशीनी तरीका अपनाया जाएगा, जिसमें सब्बल, कुदाल/फावड़ा, छेनी, हथौड़ा जैसे हस्तचलित औजरों का इस्तेमाल होगा। ढुलाई रोड का विस्तार गड्ढे की सतह तक किया जाएगा। बेंच की ऊँचाई 3.0 मी होगी जबकि चौड़ाई खुली खदान की फर्श के बराबर होगी। छटाई एवं कटाई का काम मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ओवरवर्डन और खनिज की ढुलाई का काम भी मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। सम्पूर्ण खुदाई सब्बल, कुदाल/फावड़ा, छेनी और हथौड़े जैसे हस्तचलित औजरों से की जाएगी। छटाई और विकास कार्य एवं ओवरवर्डन की निकासी का कार्य भी मजदूरों के द्वारा ही किया जाएगा। खदान की अधिकतम गहराई 10 मीटर होगी। नियंत्रित विस्फोटक की पद्धति का उपयोग किया जायेगा। विस्फोटन के लिये नई तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। चूना पत्थर की प्रस्तावित उत्पादन दर 60000 टन/वर्ष होगी। उत्खनन के पश्चात भूमि का पुर्नभरण खदान से निकलने वाले अनुपयोगी अवशिष्ट के द्वारा की जायेगी। अनुपयोगी अवशिष्ट (ओवरबर्डन) को व्यवस्थित प्रकार से एकत्रित किया जाएगा एवं इनके उठावों की ऊँचाई एक जैसी होगी एवं इनका पुनर्भराव के लिए अधिकतम रूप से उपयोग किया जाएगा। भंडारण के चारों तरफ नाली बनाई जाएगी जिससे भंडारण का वर्षा के साथ होने सकने वाले क्षय को रोका जा सकें। पुनर्भरित क्षेत्र में अपशिष्ट डालकर उसका समतलीकरण किया जायेगा एवं सबसे उपर सतही मिट्टी की पर्त बिछायी जाएगी तत्पश्चात क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। केवल 13 हेक्टेयर क्षेत्र में माईनिंग की जायेगी, जिसमें से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में भराई का काम किया जायेगा, शेष भाग तालाब के रूप में विकसित किया जायेगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिये जल छिड़काव किया जावेगा। खदान क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जायेगा।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री राजू ठाकुर ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि इस खदान को 1990 से लीज़ दी गई है, आज तक इनके द्वारा न तो पेड़ लगाया गया है और न ही ग्रामीणों के हित में कोई कार्य किया गया है। हम सभी ग्रामवासी इस खदान का विरोध करते हैं तथा हम यह खदान देने के इच्छुक नहीं है, खदान नहीं देना चाहते हैं।

2 श्री मायाराम, ग्राम खपरी ने कहा कि यहां जितने भी कशर वाले आये हैं, सभी बहुत घमंडी हैं। एक कशर वाले न मेरी 1.5 एकड़ जमीन पर डस्ट डाल दिया है और रैंप बना दिया है। मेरे द्वार सितंबर माह के 22 तारीख को तहसीलदार को सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था, जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई है।

3 श्री सुनील माहेश्वरी, सदस्य जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि यह जनसुनवाई इस मैदान में क्यों रखी गई है, ग्राम पंचायत भवन में क्यों नहीं रखी गई है।

4 श्री भोला वर्मा, ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि खदान द्वारा विगत 10 वर्षों में कितनी रॉयल्टी किसे दी गई है यह बताया जावे। इस खदान से आज तक गांव को कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारा यही कहना है कि हमें इनको खदान नहीं देना है।

5 श्री तिलकराम साहू ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि हमारे गांव में जमीन कम है और हमे यह खदान नहीं देना है। इस खदान से हमे बहुत घाटा है। इस खदान के संबंध में हमारी ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

6 श्री अर्जुनलाल साहू द्वारा कहा गया कि मवेशी चराने के लिये जगह नहीं है। अगर खदान चलेगी, तो गांव में पानी नहीं आयेगा। हमे यह खदान नहीं देना है।

7 श्री बाबूलाल साहू द्वारा कहा गया कि हमे भांठा बचाना है, हमे खदान नहीं देना है।

8 श्री श्यामलाल लहरी द्वारा कहा गया कि इस भांठा को हमें किसी हालत में नहीं देना है। कुछ समय तक इनके द्वारा खदान धमकी के साथ चलाई गई है कि शासन ने खदान दे दी है और बस्ती से हमको कोई मतलब नहीं है, तथा गांव वालों को इस रास्ते से गुजरने भी नहीं दिया जाता था। गांव वाले इनके डर से इस रास्ते से नहीं निकलते थे। अतः इनको खदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

9 श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा कहा गया कि गांव वालों को अनैतिक तरीके से पैसे बांटकर कागजों पर दस्तखत कराये जाते हैं जिससे कि ग्रामीणों में आपस में विद्वेष उत्पन्न होता है, आपस में भाईचारे का नाता नहीं रह गया है। इस खदान से हमे बहुत नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूं कि यह खदान हमेशा के लिये बंद कर दी जावे।

10 श्रीमति गणेशवती साहू, पंच द्वारा कहा गया कि हम इस भांठा (खदान) को नहीं देना चाहते हैं।

11 श्री सनत कुमार वर्मा ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि गांव वालों में फूट डाली जाती है। इनके आने से गांव दो भागों में बंट गया है, गांव में मारपीट होती है, हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। 54 एकड़ की जमीन को चारागाह के लिए छोड़ा जाना चाहिये।

12 श्री विष्णु प्रसाद साहू, पंच द्वारा कहा गया कि गांव में चारागाह की कमी है, खदान चलने से मवेशियों को चारे की समस्या होगी। अतः खदान को अनुमति नहीं दी जावे।

13 श्रीमति गंगाबाई सतनामी, पंच द्वारा कहा गया कि यह जमीन निस्तारी की है, हमे भांठा बचाना है किसी हाल में हम खदान के लिये नहीं देना चाहते।

14 श्रीमति प्यारीबाई साहू, पंच द्वारा कहा गया कि भांठा बचान है, खदान को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

15 श्रीमति द्रुपतीबाई साहू, ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि भांठा को बचाना है।

16 श्री धर्मेन्द्र कुमार जांगड़े, पंच द्वारा कहा गया कि भांठा का निस्तारी, चारागाह हेतु उपयोग किया जाता है, अतः खदान को निरस्त करके जमीन गांव वालों को दी जानी चाहिये।

17 श्री नेमीचंद वर्मा, ग्राम फरहदा द्वारा कहा गया कि इस खदान को बंद कराने के लिये मैं कलेक्टर, खनिज विभाग, एस.डी.एम., तहसीलदार सबके पास गया हूं, जिसकी पावती मेरे पास है, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इनके द्वारा 75 प्रतिशत जनता को पक्ष में कर लिया गया है, लेकिन हम इनको जमीन किसी भी शर्त में नहीं देंगे। गांव में चारागाह के लिये जगह नहीं है, हम इस खदान को खुलने नहीं देंगे। मैं जी–जान से इस खदान के खुलने का विरोध करूंगा, ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पास करेंगे।

18 श्री कमलेश्वर साहू द्वारा कहा गया कि मैं रानीजरौद, टेकारी, खपरी आदि सात गांवों का जनपद सदस्य हूं। मैं निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्वक सभी लोग अपनी बात रखें। कोई भी खदान वाला हम से जबरदस्ती हमारी जमीन नहीं ले सकता। आज रानीजरौद की क्या स्थिति आप जाकर देख सकते हैं, रानीजरौद के 75 प्रतिशत हिस्से में खदान है। रानीजरौद का पानी कहां जा रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जितने कशर नहीं होंगे उससे अधिक कशर रानीजरौद में है। रानीजरौद में आज तक जन सुनवाई नहीं हुई है, आमसभा नहीं हुई है। मैं विधायक महोदय से, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि जमीन खदान के लिये दिये जाने या नहीं दिये जाने पर विचार करें। आप लोग स्वंय सोचें कि भांठा को खदान के लिये देने से क्या स्थिति होगी।

19 श्रीमति राधिकाबाई सरपंच फरहदा द्वारा कहा गया कि हम लोग इस गांव को बेचना नहीं चाहते हैं। हमारे गांव में चारागाह की कमी है।

20 श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत फरहदा में 15 साल से जो चल रहा है उसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। यहां स्थित बंछोर खदान तथा ओंकार खदान ग्राम फरहदा तक काफी बढ़ चुका है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहां आये हुये अधिकारी वहां जाकर स्थिति देख सकते हैं, कि खदान फरहदा की ओर तक बहुत बढ़ चुका है, और खदान की जमीन का नाप भी नहीं हुआ है। फरहदा खार तक खदान बढ़ चुका है। विमल जैन की खदान में हाई–ग्रेड का पत्थर है। यहां के कई किसानों की जमीन के नीचे लो–ग्रेड का पत्थर है, यदि हाई–ग्रेड का पत्थर होता तो कोई बेरोजगार नहीं रहता।

21 मान्नीया श्रीमति लक्ष्मी वर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि उद्योग स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन यहां कोई उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है, यहां मात्र खनिज संपदा का उत्खनन किया जाकर इसका विकय किया जायेगा और इस क्षेत्र के निवासियों को काम भी नहीं मिलेगा। खदान से हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। आज की स्थिति जो खेती से जो उत्पादन हो रहा है, वह खदान चलने से धूल आदि की समस्या से प्रभावित होगा तथा फसल कम हो जायेगी। इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत अधिक उद्योग स्थापित है। रावन और हिरमी में स्थापित उद्योगों की खदाने भी इसी क्षेत्र में है और उत्खनन किये जाने के कारण यहां की जमीन खोखली हो चुकी है, जिससे भूकंप आदि की समस्या की आशंका है, खदान के चलने से कृषि को बहुत हानि पहुंच रही है तथा खदानों के कारण जल स्तर में काफी कमी आई है। खदानों में अनाधिकृत रूप से की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से 2 कि.मी. दूर तक के गांवों को क्षति हो रही है, ब्लास्टिंग के रसायन से कृषि प्रभावित हो रही है, तालाब का पानी, पेयजल दूषित होने से बीमारियां फैल रही हैं। इस क्षेत्र में छोट–बडेत्र मिलाकर कुल 80 लीज क्षेत्र हैं लेकिन किसी के भी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहयोग नहीं दिया गया है। उन्होने कहा कि आने वाले समय किसी भी क्षेत्र से संबंधित खदान आदि की लीज़ संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जावे तथा उससे होने वाले लाभ को गांव के विकास में व्यय किया जावे। इस गांव में निस्तारी की जगह कम है तथा गांव वाले पंच, सरपंच एकमत होकर इस लीज़ का विरोध कर रहे हैं, इस लीज़ का आबंटन किसी को भी नहीं किया जाना चाहिये। अगर पंचायत अनुमति के बिना कोई लीज़ दी जाती है तो इसके विरोध में जनआंदोलन किया जायेगा। कई वर्षों से बड़े उद्योग के द्वारा उत्खनन किया गया जा रहा है तथा लीज़ क्षेत्र में निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में उत्खनन किया जा चुका है। जिन खदानों को लीज़ दी गई है उनका सीमांकन कराया जाये। गांव वाले उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को सहने मात्र के लिये नहीं है। उद्योगों को गांव के विकास हेतु व्यय की गई अथवा की जाने वाली राशि का ब्यौरा देना चाहिये। उन्होने कहा कि गांव के हित के दृष्टिगत खदान की लीज़ रद्द की जानी चाहिये।

22 डॉ0 किशोर ठाकुर, फरहदा द्वारा कहा गया कि 15 वर्षों के रिकार्ड के अनुसार कभी भी पंचायत का प्रस्ताव खदान को नहीं दिया गया है। बिना पंचायत की अनुमति के हजारों टन खनिज उत्खनन किया गया जो कि गैर कानूनी है। हमने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गांव में भय का वातावरण है। खदान में भारी मात्रा में विस्फोट होता है, जिससे गांव के घरों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हैवी ब्लॉस्टिंग के कारण भू–जल स्तर नीचे चला गया है। ऐसे भू–माफिया के कारण गांव दो भागों में बंट गया है आपसी भाईचार, सौहाद्र खत्म हो गया है। अतः खदान की लीज़ निरस्त की जावे, जिससे भाईचारा बचा रहे।

23 श्री जगतराम वर्मा, फरहदा द्वारा कहा गया कि खदान के संबंध में एक दो बार आवेदन दिया गया तथा गांव वालों को प्रलोभन भी दिया गया लेकिन गांव वाले एकमत होकर खदान देने से इंकार कर दिये। अखेराज लुनिया, रिपुसूदन द्वारा 45 लोगों को 5–10 हजार रूपये देकर उनसे स्टांप पेपर पर दस्तखत लेकर पांच वर्षों तक खदान चलाते रहे, इसके विरोध में कई बार गांव में उग्र आंदोलन भी हुआ। पूर्व में यह बात ग्राम पंचायत में की गई थी कि अखेराज लुनिया द्वारा

खदान चलाने का फैसला भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाये। हमें जमीन नहीं देना है, क्योंकि उसी जमीन से बरसात का पानी किसानों के खेत में जाता है, जिससे पैदावार होती है।

24 श्री सुनील माहेश्वरी, सदस्य जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि सन 2006 में गांव में धान खरीदी केन्द्र के आवश्यक्ता के संबंध में मांग उठी थी और सन 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण विभाग से खदान में उत्खनन हेतु अनुमति अनिवार्य की गई। फरहदा में धान खरीदी केन्द्र नहीं खुल पाया लेकिन फरहदा की जमीन पर बाहरी लोगों को खनिज खनन के लिए पट्टा मिल जाता है, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। सुहेला–भाटापारा मार्ग पर सभी अधिकारी आते–जाते हैं, इस मार्ग पर धूल को रोकने के लिए पानी छिड़काव की बात की जाती है लेकिन कोई भी पानी छिड़काव नहीं करता है। खदानों में खनन क्षमता से अधिक खुदाई की जाती है, जिसका कभी सीमांकन नहीं किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु जिन शर्तों के आधीन अनुमति दी जाती है, उसका पालन नहीं किये जाने की दशा में हम कहां जायेंगे लेकिन आज हमारे पास अधिकार है। सन 2006 में उत्खनन हेतु जन सुनवाई अनिवार्य किये जाने, सरकार द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद 2008, 2009 तक यहां कैसे खुदाई होती रही। गांवा वालों के विरोध किये जाने के कारण जांच हुई और इस खुदाई पर रोक लगी, किंतु जांच में क्या हुआ इसका कोई अता–पता नहीं है, और आज ये फिर 54 एकड़ में खुदाई के लिये यहां आ गये हैं। जो व्यक्ति बिना किसी आदेश के गांव वालों सामने इतने समय तक अवैध ढंग से खदान में कार्य करता रहा हो, उसका कैसे विश्वास किया जा सकता है, इस कारण हम ये खदान नहीं देना चाहते हैं। लीज का क्षेत्र आसपास में सबसे उंचा है। अतः यहां पर बांध का निर्माण होना चाहिए ताकि हर जगह कृषि के लिए पानी मिल सके। अगर आज ये जमीन खदान के लिये दी जाती है, तो यहां पर कृषि को सिंचाई के लिये कभी पानी नहीं मिल पायेगा। अगर हम इस गांव के हर घर का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो इस भांठा जमीन पर बांध का निर्माण किया जाना चाहिये। यह खदान 15 वर्षों तक चली है, खदान स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप यह खदान चली है अथवा नहीं इस बात की जांच होनी चाहिये और यदि शर्तों के अनुरूप यह खदान नहीं चली है, तो उसके आधार पर ही इसका पट्टा निरस्त कर दिया जाना चाहिये और निश्चित रूप से पट्टे के नियम के अनुसार खदान नहीं चलाई गई है, अतः पट्टे को निरस्त किया जाना चाहिये और इस स्थान पर बांध का निर्माण होना चाहिये। इस खदान से खनिज 40–45 कि.मी. दूर सेंचुरी सीमेंट को दिया जायेगा, ऐसा बताया गया है जबकि सेंचुरी सीमेंट के पास पहले से ही बहुत सारी खदानें हैं, जिससे शासन को राजस्व प्राप्त होता है। इस खदान से निकलने वाला खनिज सेंचुरी सीमेंट को दिये जाने का प्रस्ताव है, किसी नये उद्योग को इसका खनिज नहीं दिया जायेगा। अगर इस खदान का पट्टा निरस्त भी कर दिया जाता है, पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाती है तो भी शासन को राजस्व में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस खदान से खनिज 40 कि.मी. दूर सेंचुरी सीमेंट को दिया जायेगा जबकि सेंचुरी सीमेंट के पास पहले से ही बहुत सारी खदानें हैं। अतः 40 कि.मी. तक परिवहन में वायु प्रदूषण होगा जिससे पर्यावरण को बहुत हानि होगी। इस खदान में उच्च श्रेणी का स्टोन पाया जाता है, जिसका उपयोग शासन के नियमानुसार केवल सीमेंट उद्योग में होना चाहिए, जबकि इन नियमों की अव्हेलना करते हुए यहां के स्टोन को क्रशर में इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। चार दिन पहले तक ग्राम पंचायत के सचिव के इस लोक सुनवाई की जानकारी नहीं थी, तो यहां के लोगों को इस

लोक सुनवाई की जानकारी कैसे हो सकती है ? यह व्यवस्था का दोष है। लोक सुनवाई से संबंधित जानकारी को छुपाने का प्रयास किया गया है, इससे जनता की अधिक संख्या में उपस्थिति बाधित हुई है। यदि यह जनसुनवाई ग्राम फरहदा में हुई होती तो अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति रहती। कोतवाला के द्वारा लोक सुनवाई के संबंध में किसी प्रकार की मुनादी नहीं की गई है। लोक सुनवाई के संबंध में नवंबर 2008 से जनवरी 2009 के बीच यहां पर्यावरणीय का परीक्षण किया गया है। इस तीन महीने के परीक्षण में यह बताया गया है कि यहां पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। इन तीन महीनों के अध्ययन दौरान गांव का कोई भी निवासी किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी को गांव में नहीं देखा है, इसका मतलब है कि यह परीक्षण ही गलत है। इस प्रकार के पर्यावरण अध्ययन पर गांव वालों को विश्वास नहीं है। इस अध्ययन में गांव में स्कूल बताया गया है, आस–पास के चिकित्सालयों को बताया गया है, भवन बताया गया है लेकिन इस गांव में, गांव के आस–पास कितने कशर है, कितनी खदान है इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, तो फिर ये पर्यावरण का अध्ययन कैसे हो गया ? पूरा गांव किसान हित, जनता के हित में एकमत होकर स्वीकार कर रहा है कि, इस जमीन को खदान के लिये नहीं देना है।

तत्पश्चात अपर कलेक्टर श्री चौहान द्वारा जनसामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण की एक प्रति ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी तथा कहा कि समस्त ग्रामवासी एकमत होकर खदान नहीं देना चाहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि यहां आपकी बातों को दो लोग नोट कर रहे हैं, ताकि कोई बात छूट न जावे। कार्यवाही विवरण में वैसा ही लिख जायेगा जैसा आपने कहा है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि कोई और अपने विचार रखना चाहते है तो आकर बोले, जिस पर जिला पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमति लक्षमी वर्मा ने कहा कि यहां पर कोई भी खदान के पक्ष में विचार रखने वाला नहीं मिलेगा, उन्होने कहा कि जनसुनवाई समाप्त कर दी जावे।

अपर कलेक्टर ने कहा कि यहां उपस्थित सभी मान्नीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों ने अपने विचार रखे हैं। लोक सुनवाई में उपस्थित श्रीमति लक्ष्मी वर्मा मान्नीय अध्यक्षा जिला पंचायत, श्री सुनील माहेश्वरी मान्नीय सदस्य जिला पंचायत, उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, जनपद पंचायत सदस्यगण, सरपंच, पंचगण एवं समस्त ग्रामवासियों को उनके द्वारा कही गई बातों को दर्ज कर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने तथा कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी तथा कहा गया कि यहां उपस्थित लोगों द्वारा जनसुनवाई के संबंध में अपना विचार प्रभावी ढंग से रखा गया है, पूरा विरोध किया गया है, निश्चित रूप से यह आपकी आवश्यक्ता की बात है, आपकी भावना की बात है, और आप सभी की भावनाओं के अनुरूप इसे भारत सरकार को भेजा जायेगा, जहां गांव वाले नहीं चाहते ऐसी जगह काम करना असंभव है। अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों को शांतिपूर्ण ढंग से विचारों को रखने एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही संपन्न किये जाने हेतु धन्यवाद दिया और कहा कि जो लोग लिखित अभ्यावेदन देना चाहते हैं, वे दे सकते हैं। उन्होने कहा कि सभी ने अपनी बातें रखी हैं और अब कोई वक्ता नहीं है। अतः लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लोक सुनवाई के दौरान कुल 05 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर,
बलौदाबाजार
जिला रायपुर (छ.ग.)